न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
सीमा खेतान (आरटीएस)

मि.न.– 67/19 दिनांक–16/5/19

सरकार बनाम पूरण

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पुरूषोतमपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2075 में वाके ग्राम पुरूषोतमपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 30 रकबा 17.35है0 किस्म जमीन चारागाह मेंसे 0.03है0 पर पूरण पुत्र सरदारा जाति बंजारा निवासी पुरूषोतमपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने एक टीन सेड बनाकर नाजायज रूप से अतिकमण कर लिया है।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जवाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया। गैर सायल अधिवक्ता ने अपने जवाब में कथन किया है कि गैरसायल ने वाके ग्राम पुरूषोतमपुरा के खसरा नंबर 30/17.35है0 किस्म चारागाह मेंसे 0.03है0भूमि पर एक मकान एक कच्चा घर निर्मित कर रखे हैं।इन्के अलावा गैरसायल के पास रहने के लिए अन्य कोई भूमि नहीं है। अतः नोटिस राजस्थान लेण्ड रैवन्यू एक्ट 1956 की कार्यवाही ड्राप फरमाई जावे।

हमने पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी व गेरसायल द्वारा प्रस्तुत जवाब पर गौर किया तो विवेचन पर पाया कि गैरसायल द्वारा अपने जवाब में स्वंय की स्वीकारोक्ती के आधार पर गैरसायल का उक्त चारागाह भूमि पर मकान बनाकर अतिकमण स्वतः ही सिद्व होता है जिसके विरूद्व अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है चूकि गैरसायल के जवाब के अनुसार प्रतीत होता है कि गैरसायल के पास उक्त मकान के अलावा रहवास के लिए अन्य कोई भूमि नहीं है चूंकि पूरण पुत्र सरदारा बंजारा जाति से सम्बद्व है जो एक घुमन्तु जाति है । राज्य की लोक नीति के अनुसार इनके उचित रहवास की व्यवस्था के लिए विभिन्न योजनाए संचालित हैं। अतः गैर सायल को उक्त आराजीयात से बेदखल

करने हेतु ग्राम पंचायत से गैरसायल के रहवास की व्यवस्था करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः पूरण पुत्र सरदारा जाति बंजारा निवासी पुरूषोतमपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम पुरूषोतमपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 30 / 17.35है0,किस्म जमीन चारागाह मे से 0.03है0 पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा सरपंच ग्राम पंचायत पुरूषोतमपुरा को आदेशित किया जाता है कि वह अतिक्रमि पूरण पुत्र सरदारा जाति बंजारा की रहवास की व्यवस्था नियमानुसार करे तत्पश्चात हल्का गिरदावर बेदखली की कार्यवाही कर रिपोर्ट करें।निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 18/4/19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)